

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 515 of 2025**

**IN THE MATTER OF:**

Principal, Sharda Public School

...Applicant

versus

State of Uttarakhand and Ors.

...Respondents

**INDEX:**

**N.D.O.H: 18.05.2026**

| <b>S. No.</b> | <b>Particulars</b>                                                                                                               | <b>Pg.</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.            | Response by Respondent No. 5-District Magistrate, Almora in compliance of order dated 06.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal | 3-9        |
| 2.            | <b>Annexure-1:</b><br>Copy of order dated 06.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 515 of 2025                     | 10-11      |
| 3.            | <b>Annexure-2:</b><br>Copy of the Office Letter No. 4613/21-04/2025-26 dated 11.05.2026                                          | 12         |
| 4.            | <b>Annexure-3:</b><br>Copy of the order dated 08.05.2026                                                                         | 13         |
| 5.            | <b>Annexure-4:</b><br>Copy of Office Letter No. 59/8-2(2026-2027) dated 08.04.2026                                               | 14-15      |

|     |                                                                                                                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.  | <b>Annexure-5:</b><br>Copy of Letter No. 129/8-2 (2026-2027) dated 20.04.2026                                                                                 | 16 |
| 7.  | <b>Annexure-6:</b><br>Copy of Letter No. 221/8-2(2026-2027) dated 02.05.2026                                                                                  | 17 |
| 8.  | <b>Annexure-7:</b><br>Copy of the Office Letter No. 244/30-1 (2026-2027) dated 06.05.2026 issued by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Almora | 18 |
| 9.  | Vakalatnama                                                                                                                                                   | 19 |
| 10. | Proof of Service                                                                                                                                              |    |

FILED ON: 16.05.2026

BY:



(ADIRAJ BALI)  
Advocate for the Respondents  
Mezzanine, First Floor, S-207, GK-II,  
New Delhi-110048  
M. No.: 7219002913 | E-mail: [adirajbali1@gmail.com](mailto:adirajbali1@gmail.com)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 515 of 2025**

**IN THE MATTER OF:**

Principal, Sharda Public School

...Applicant

versus

State of Uttarakhand and Ors.

...Respondents

**Response by Respondent No. 5-District Magistrate, Almora in**

**compliance of the order dated 06.04.2026:**

I, Anshul Singh, presently serving as the District Magistrate for Almora in the State of Uttarakhand am Respondent No. 5 in the above-captioned matter and I am duly authorized, fully conversant with the facts of the present case and thus, I am competent to swear and file this Response. I do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the above-captioned Original Application was listed for consideration before this Hon'ble Tribunal on 06.04.2026 wherein Respondent No. 5 was directed to file a response, specific to the obligations cast under the Solid Waste Management Rules, 2016 along with other material particular details. The relevant portion of the said order has been reproduced below:




*AS*

*"5. The respondents no. 1 to 6 are directed to file their responses with specific to the obligations cast on them by the Solid Waste Management Rules, 2016/2025 with details regarding remedial measures to be taken, executing agencies, budgetary allocations, specific timelines and monitoring/nodal officer and respondent no. 7 is directed to file response with specific reference to the aspect as to whether the land where garbage is being dumped falls within forest area and as to whether there is any violation of provisions the Indian Forest Act, 1927 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980."*

A copy of the order dated 06.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal in the said OA has been annexed herewith and marked as **Annexure-1.**

2. That, in compliance with the order dated 06.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Almora has issued Letter bearing number 4680/21-01/2025-26 dated 12.05.2026 which contains the action taken as well as updated information. Respondent No. 5 issued Office Letter No. 4188/21/2025-26 dated 22.04.2026 to the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Almora and instructed him to prepare and provide a report. Subsequently, the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Almora through Office Letter No. 244/30-1 (2026-2027) dated 06.05.2026 provided a point wise report. The relevant portion of the report is provided below:



a) For management of solid waste in Almora Municipal Area, the Forest Department allotted 0.90 Hectares of reserved forest land to the Municipal Corporation, Almora on a 30-year lease at Baldhoti, Almora on the Pithoragrah-Almora National Highway. However, since the site was not compliant with the standards prescribed under the Solid Waste Management Rules, 2016, the waste disposal site at Baldhoti has been converted into a Material Recovery Facility Center. Additionally, *vide* Office Letter No. 4613/21-04/2025-26 dated 11.05.2026 the Sub-Divisional Magistrate, Sadar-Almora has been directed to identify suitable land, as per the standards / rules prescribed in the Solid Waste Management Rules, 2026 for disposal of solid waste generated within Almora and submit a proposal regarding the same on a priority basis. A copy of the Office Letter No. 4613/21-04/2025-26 dated 11.05.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**;

b) Since the Baldhoti Site was not compliant with the standards of the Solid Waste Management Rules, 2016 the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (hereafter "**MoEF&CC**")



*M*

did not provide Environmental Clearance (EC) for using the site as a sanitary landfill site. Therefore, the site has been converted into a Material Recovery Facility Center;


- c) Further, a Committee has been constituted for periodic inspection, monitoring of the Baldhoti Material Recovery Facility Center and for submission of monthly report along with suggestions for resolving problems/deficiencies found therein *vide* order dated 08.05.2026 comprising of the following:

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Almora  
(Chairperson)

Sub-Divisional Magistrate, Sadar-Almora (Member)

A copy of the order dated 08.05.2026 is annexed herewith and attached as **Annexure-3**;


- d) It is further informed that Baldhoti MRF Center is located entirely within a forest area. In addition, it has been informed that an aerobic compost pit has been created at the site, a main gate has been constructed for protection from stray cattle,



*M*

flowing has been laid, weighing machine has been installed and green netting has been placed all around the site;

- e) The Municipal Commissioner, Municipal Corporation-Almora has also informed that for disposal of legacy waste at the MRF Center work orders had previously been issued to the approved tendering firm, i.e., M/s Geron Engineering Private Limited. However, despite repeated reminders the firm did not commence legacy work disposal work, therefore *vide* Office Letter No. 59/8-2(2026-2027) dated 08.04.2026 the contract executed with the said firm was cancelled and the said firm has been debarred from participating in future tender processes to be invited by the Corporation. A copy of Office Letter No. 59/8-2(2026-2027) dated 08.04.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-4**;



- f) Thereafter, for work of disposal of legacy waste, an e-tender was published through Letter No. 129/8-2 (2026-2027) dated 20.04.2026, for which only one tender was received. A copy of

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

Letter No. 129/8-2 (2026-2027) dated 20.04.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-5**;

g) Subsequently, through Letter No. 221/8-2(2026-2027) dated 02.05.2026 a short-term e-tender notice was published and the tender process has been initiated again. A copy of Letter No. 221/8-2(2026-2027) dated 02.05.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-6**;

A copy of the Office Letter No. 244/30-1 (2026-2027) dated 06.05.2026 issued by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Almora is annexed herewith and marked as **Annexure-7**.

3. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for this Hon'ble Tribunal and the orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out and comply with the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.



**PRAYER:**

In view of the submissions made above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to take the above Response on record and pass such orders and / or directions as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.



Deponent

**Verification:-**


Verified at Almora on the 16 day of May, 2026 that the contents of the accompanying compliance affidavit / status report from Para 1 to 3 are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false and no material has been concealed therein.



Deponent



Verified that Smt. Anshul Singh, DM.  
 the Deponent Identified by Tanuj Bisht  
 Sworned & Verified the contents of  
 the Affidavit at Almora  
 on Date 16/05/2026 PM/AM 11:48 AM

  
 Kundan Singh Latwa  
 Notary  
 Tehsil - Lamgara  
 Almora (U.K.)  
 Reg No. 35(2)2022

Item No. 02

Court No. 2

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 515/2025

Principal Sharda Public School

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Date of hearing: 06.04.2026

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Dhruv Tamta, Advocate for respondents no. 1, 2 and 5.  
Mr. Rahul Verma, Advocate for respondent no. 3 (through V.C.).  
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 4.

**ORDER**

1. Additional affidavit dated 02.04.2026 has been filed by the District Magistrate, Almora.
2. We have gone through the reports/responses filed by the respondents and are of the considered view that the same do not properly address substantial environmental issues raised and do not give requisite details with regard to compliance with Solid Waste Management Rules, 2016/environmental norms.
3. In view of the facts and circumstances of the present case, we consider presence of the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttarakhand and the PCCF (HoFF), Government of Uttarakhand to be essential for just and proper adjudication of the substantial environmental questions involved in the

case. Accordingly, the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttarakhand and the PCCF (HoFF), Government of Uttarakhand are impleaded as respondents no. 06 and 07 respectively.

4. The Registry is directed to amend memo of parties accordingly and to issue notices to respondents no. 06 and 07.

5. The respondents no. 1 to 6 are directed to file their responses with specific to the obligations cast on them by the Solid Waste Management Rules, 2016/2025 with details regarding remedial measures to be taken, executing agencies, budgetary allocations, specific timelines and monitoring/nodal officer and respondent no. 7 is directed to file response with specific reference to the aspect as to whether the land where garbage is being dumped falls within forest area and as to whether there is any violation of provisions the Indian Forest Act, 1927 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

6. List on 18.05.2026 for further hearing.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 06<sup>th</sup>, 2026  
Original Application No. 515/2025  
AB

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा  
संख्या 4613 / इक्कीस-01/2025-26, दिनांक 11 मई, 2026

उप जिलाधिकारी,  
सर अल्मोड़ा।

**विषय:-** अपशिष्ट निस्तारण स्थल हेतु भूमि चयन के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम, अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि की नितान्त आवश्यकता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में नगर निगम, अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट निस्तारण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2026 में निर्धारित मानकों/नियमों के आलोक में उपयुक्त भूमि का चयन करते हुए नियमानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अ/क

अ/क

(अंशुल सिंह),  
जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

**प्रतिलिपि** नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि वे वांछित भूमि के चिन्हांकन हेतु नगर निगम टीम व तहसील टीम को समन्वय करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

अ/क

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

अ/क

117  
आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-515/2025 प्रिन्सिपल शारदा पब्लिक स्कूल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के क्रम में नगर निगम, अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत बल्ढौटी स्थित Material Recovery Facility Center (MRF Center) के समय-समय पर निरीक्षण/निगरानी हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1-नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा- | अध्यक्ष। |
| 2-उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा-    | सदस्य।   |

अतः उक्तानुसार गठित समिति नगर निगम, अल्मोड़ा के बल्ढौटी स्थित Material Recovery Facility Center (MRF Center) का समय-समय पर निरीक्षण/निगरानी करते हुए अपनी आख्या प्रत्येक माह नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाते हुए गठित समिति Material Recovery Facility Center (MRF Center) में पाई जाने वाली समस्याओं एवं कठिनाईयों को दूर करने के सम्बंध में अपने सुझाव भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।

दिनांक:- 09 मई, 2026



(अंशुल सिंह),  
जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा  
संख्या 4614 /इक्कीस-01/2025-26, दिनांक 11 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- 1-नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा।
- 2-उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा।
- 3-कार्यालय प्रति।



जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।



पत्रांक 59 / 8-2(2026-2027)

दिनांक 08/04/2026

LBC

Geron Enginreeing PVT LTD  
Office:- 143/1, Pandav Nagar,  
NH 24, Ghaziabad-201002 (UP)

विषय:- कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण अनुबन्ध को निरस्त किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 27 / 8-2(2025-26) दिनांक 04 फरवरी, 2026 द्वारा आपको लीगेसी वेस्ट के निस्तारण कार्य के सम्पादन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है, परन्तु आप द्वारा आतिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिस कारण पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1980 / 8-2(2025-26) दिनांक 20 फरवरी, 2026 एवं पत्र संख्या 2077 / 8-2(2025-26) दिनांक 11 मार्च, 2026 द्वारा आपको लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। तदुपरान्त आप द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 को ई-मेल के माध्यम से कार्य की सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा आपकी फर्म के अधीकृत प्रतिनिधि श्री सुधीर कुमार यादव से दूरभाष पर सम्पर्क किये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 21 मार्च, 2026 तक कार्यस्थल पर मशीनों को स्थापित करते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सर्वे रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ न किये जाने पर इस कार्यालय द्वारा पुनः पत्र संख्या 2132 / 8-2(2025-26) दिनांक 23 मार्च, 2026 के माध्यम से पुनः नोटिस प्रेषित किया गया तथा कार्य को तत्काल प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस क्रम में आपकी फर्म द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2026 को श्री सौरभ सिंह को कार्यालय नगर निगम, अल्मोड़ा में भेजा गया तथा श्री सौरभ सिंह द्वारा कार्यालय में अवगत कराया गया कि लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य किये जाने हेतु कार्यस्थल पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है तथा दिनांक 07 अप्रैल, 2026 तक पुनः कार्यस्थल का निरीक्षण कर अवगत कराया जायेगा कि कार्यस्थल पर उपकरण स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं। वर्तमान तक श्री सौरभ द्वारा दूरभाष अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

नगर निगम, अल्मोड़ा द्वारा लीगेसी वेस्ट के निस्तारण कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की आर0एफ0पी0 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि प्रत्येक निविदादाताओं को निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व कार्यस्थल की सर्वे किये जाने के उपरान्त कार्यस्थल की फोटोग्राफ भी इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। आप द्वारा कार्यस्थल को सर्वे भली भौति नहीं किया गया मात्र औपचारिक रूप से कार्यस्थल में जाकर फोटोग्राफ निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत कर दी गयी।

प्रकरण में मा10 न्यायालय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। जिस क्रम में आपकी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुधीर कुमार यादव से अनेक बार दूरभाष पर सम्पर्क किया गया, परन्तु आपकी फर्म द्वारा कार्य के प्रति रूचि न रखते हुए कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप उक्त कार्य का सम्पादन किये जाने में इच्छुक नहीं हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थियों के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के कार्य हेतु आपकी फर्म के साथ निष्पादित किये गये अनुबन्ध को निरस्त करते हुए कार्य के सापेक्ष जमा एफ0डी0आर0 को जब्त कर आपको भविष्य में निगम द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदा प्रक्रियाओं में प्रतिभाग हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है।

तदनुसार सूचित होवे।

Digitally signed by  
SEEMA VISHWAKARMA  
Date: 08-04-2026  
15:55:31

(सीमा विश्वकर्मा)  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि—

- 1— मा10 महापौर, नगर निगम, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, अल्मोड़ा।

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार कार्य की निविदा वेबसाइट <https://uktenders.gov.in> पर दिनांक 21.04.2026 अपराह्न 03:00 बजे से दिनांक 30.04.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा निविदा को दिनांक 30.04.2026 को अपराह्न 05:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी / शर्तें निगम कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

| क्र. सं. | कार्य का नाम                | आगणन धनराशि मय G.S.T (लाख में) | धरोहर धनराशि (लाख में) | निविदा प्रपत्र मूल्य | कार्य पूर्ण अवधि | निविदा की वैधता (दिवस में) |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1.       | Remediation of Legacy Waste | 143.00                         | 3.11                   | 4000.00+ 18%G.S.T    | 12 माह           | 180                        |

(सीमा विश्वकर्मा)  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, अल्मोड़ा

(अजय वर्मा)  
महापौर  
नगर निगम, अल्मोड़ा

कार्यालय निगम, अल्मोड़ा।  
पत्रांक 129/8-2(2026-2027) दिनांक 20/04/2026

प्रतिलिपि-

- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- कोषाधिकारी, कोषागार अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वर्णित तिथि में निविदा के परीक्षण हेतु निगम कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- अधिसूचना-अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वर्णित तिथि में निविदा के परीक्षण हेतु निगम कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- सम्पादक, अमर उजला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय स्थान अथवा 6X6 वर्ग से0मी0 स्थान प्रकाशित कर छूट प्रदान करते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियाँ सहित बिल को जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा से प्रमाणित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- सम्पादक, साह टाइम्स को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय स्थान अथवा 6X6 वर्ग से0मी0 स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियाँ सहित बिल को जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा से प्रमाणित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- वेबसाइट <https://uktenders.gov.in> पर प्रकाशन हेतु।

21/04/26

21/04/26

नगर निगम, अल्मोड़ा

नगर आयुक्त  
नगर निगम, अल्मोड़ा

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार कार्य की निविदा वेबसाइट <https://uktenders.gov.in> पर दिनांक 03.05.2026 अपराह्न 03:00 बजे से दिनांक 11.05.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा निविदा को दिनांक 11.05.2026 को अपराह्न 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी / शर्तें निगम कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                | आंगणन धनराशि मय G.S.T (लाख में) | धरोहर धनराशि (लाख में) | निविदा प्रपत्र मूल्य | कार्य पूर्ण अवधि | निविदा की वैधता (दिवस में) |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1.       | Remediation of Legacy Waste | 143.00                          | 3.11                   | 4000.00+ 18%G.S.T    | 12 माह           | 180                        |

नगर आयुक्त  
नगर निगम, अल्मोड़ा

महापौर  
नगर निगम, अल्मोड़ा

कार्यालय निगम, अल्मोड़ा।  
पत्रांक 221 / 8-2(2026-2027) दिनांक 07/05/2026

**प्रतिलिपि-**

- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- कोषाधिकारी, कोषागार, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार वर्णित तिथि में निविदा के परीक्षण हेतु निगम कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- अधिसासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार वर्णित तिथि में निविदा के परीक्षण हेतु निगम कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- सम्पादक, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय स्थान अथवा 6x6 वर्ग से0मी0 स्थान प्रकाशित कर छूट प्रदान करते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल को जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा से प्रमाणितकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- सम्पादक, अमृत विचार को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय स्थान अथवा 6x6 वर्ग से0मी0 स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल को जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा से प्रमाणित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- वेबसाईट <https://uktenders.gov.in> पर प्रकाशन हेतु।

नगर आयुक्त  
नगर निगम, अल्मोड़ा

कार्यालय निगम, अल्मोड़ा।

18

पत्रांक 244 / 30-1 / (2026-2027) दिनांक: 06 मई, 2026  
Email- mnaganarnigamulmora@gmail.com (Toll free no. 18003093360)

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-515/2025 प्रधानाचार्य शारदा पब्लिक स्कूल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 4188/इक्कीस-01/2025-26, दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के क्रम में मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2026 के अनुपालन में उल्लिखित बिन्दुओं पर निगम स्तर से आख्या निम्नानुसार है।

1- अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वन विभाग द्वारा पिथौरागढ़-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 209B पर बल्ढौटी क्षेत्र अल्मोड़ा में 0.90 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि नगर निगम अल्मोड़ा को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई, परन्तु उक्त स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2016 के मानकानुसार न होने के कारण बल्ढौटी स्थित अपशिष्ट निस्तारण स्थल को Material Recovery facility center (MRF Center) के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है।

2- बल्ढौटी स्थित अपशिष्ट निस्तारण स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के मानकानुसार स्थित न होने के कारण उक्त स्थल को सैनिटरी लैंडफिल साइट के रूप में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी गई, जिस कारण उक्त स्थल को एम.आर.एफ सेन्टर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

3- बल्ढौटी स्थित एम.आर.एफ सेन्टर पूर्णतया वन क्षेत्र में स्थित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि बल्ढौटी स्थित Material Recovery facility center (MRF Center) में कमियों का निराकरण करते हुए उक्त स्थल में एरोबिक कम्पोस्ट पिट, आवारा गोवंश आदि से सुरक्षा हेतु मुख्य द्वार का निर्माण तथा फर्श का निर्माण व भार मापन यन्त्र स्थापित करने के साथ-साथ चारों तरफ से ग्रीननेट भी लगा दी गई है।

ज्ञातव्य है कि एम. आर. एफ. सेन्टर में लीगसी वेस्ट के निस्तारण हेतु स्वीकृत निविदा फर्म M/S Geron Engineering Pvt.Ltd. Pandav Nagar, Ghaziabad, (UP) से कार्य सम्पादित किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त बार-बार तकाजे के बावजूद फर्म द्वारा लीगसी वेस्ट निस्तारण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या 59/8-2(2026-27) दिनांक 08.04.2026 द्वारा निविदा फर्म के साथ निष्पादित अनुबन्ध को निरस्त करते हुए उक्त फर्म को भविष्य में निगम द्वारा आमन्त्रित की जाने वाली निविदा प्रक्रियाओं में प्रतिभाग हेतु प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

तदुपरान्त लीगसी वेस्ट के निस्तारण संबंधी कार्य हेतु पत्र संख्या 129/8-2 (2026-27) दिनांक 20.04.2026 द्वारा ई-निविदा प्रकाशित की गई जिसमें एक ही निविदा प्राप्त हुई तदक्रम में पत्र संख्या 221/8-2(2026-27) दिनांक 02.05.2026 द्वारा अल्पकालीन ई-निविदा सूचना प्रकाशित कर पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(सीमा विश्वकर्मा)

Digitally signed by  
SEEMA SHIVAKARMA  
Date: 06-05-2026  
17:27:31

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION No. 515 OF 2025

Principal Sharda Public School

Appellant(s)

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

VAKALATNAMA

I/We **State of Uttarakhand**, the Appellant(s)/Petitioner(s)/Respondent(s) /intervener(s) of the above Appeal/Petition/Reference do hereby appoint and retain **Mr. Adiraj Bali**, Advocate to act and appear for me/us in the above matter and to conduct or defend the same and to appear in all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein, including proceedings in taxation and application for Review, to file and obtain return of documents, to deposit and receive money on my/our behalf in said matter and to represent me/us and to take all necessary steps in the above matter. I/We agree, to ratify all acts done by the aforesaid Advocate in pursuance of the authority.

*Adiraj Bali*

Dated this the 23 day of April, 2026.

ACCEPTED

**Mr. Adiraj Bali**,

Panel Lawyer,

National Green Tribunal,

M.N.-7219002913

E-ID-adirajbali1@gmail.com

*Manish Kumar Pandey*

(Manish Kumar Pandey)

Addl. Secretary Law & A.E.

Government of Uttarakhand,

APPELLANTS/PETITIONERS/RESPONDENTS

Manish Kumar Pandey  
Additional Secretary  
Law-Cum-Additional L.R.  
Uttarakhand

MEMO OF APPEARANCE

TO,

The Registrar,  
National Green Tribunal,  
New Delhi.

Sir,

Please enter my appearance in the above mentioned case on behalf of the Petitioner(s)/ Respondent(s).

Yours faithfully,

*Adiraj Bali*

(Mr. Adiraj Bali)  
Advocate for the Petitioner(s)  
Respondent(s) Appellant(s)

